

भी अफसर अपने पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है इसलिये एफ०आई०आर० को रद्द कर दिया जाये लेकिन मेट्रो-पोलिटिन मजिस्ट्रेट जे०पी० शर्मा को इस रिपोर्ट पर संदेह हुआ और उन्होंने इस दरखास्त को रद्द करके पूरी इन्वेस्टिगेशन करने का हुक्म दिया। उनका ख्याल था कि बहुत बड़े अफसर इस मामले में इन्वाल्व हैं इसलिये इस मामले को रद्द करने की कोशिश की जा रही है। मजिस्ट्रेट ने यह हुक्म लंदी मुनवाई के बाद 13 मई, 1992 को दिया। जानकारी हलकों के मुताबिक इस मामले में कई बड़े अफसरों के फंसने की जबर-दस्त गुंजाइश है। इसलिये मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है।

महोदया, यह बेशकीमती झंडा रेजीमेंट के सिल्वर रूम से गायब हुआ जहां बेहद कीमती और महत्वपूर्ण सामान रखा जाता है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक बार फिर 30 नवम्बर, 1992 को इस एफ०आई०आर० को रद्द करने की दरखास्त की। इस बार भी अदालत ने उसे नामंजूर कर दिया और जबरदस्त झाड़ देकर कहा कि इस बेशकीमती और कौमी निशान के झंडे को हर हालत में छानबीन करके बरामद किया जाये। कुछ अधिकारियों ने जबानी तौर पर कहा कि झंडा उन्होंने 1966 में देखा। हैड क्लर्क और ऑनररी कैप्टन अतूप सिंह ने जांच ब्यूरो को बताया कि तब के डिप्टी कमांडर जसवन्त सिंह ने उन्हें सिल्वर रूम से झंडा निकालने का जुबानी आदेश दिया था। चूंकि वे उनके सीनियर अफसर थे, इसलिए उन्होंने झंडे को निकालने की जल्दत के बारे में वजह नहीं पूछी। कुछ दिनों बाद जब झंडा वापस नहीं आया तो पछने पर डिप्टी कमांडर जसवन्त सिंह ने बताया कि झंडा कुछ फट गया था इसलिये ठीक करने लिये दर्जों के पास भेजा गया है। इसके बाद से लेकर आज तक इस मामले में कोई खास तरक्की नहीं हुई है और बहुत लोगों का ख्याल कि उनके बहुत बड़े अफसर इसमें इन्वाल्व हैं? इसलिए इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।

स स्पेशल मेशन के माध्यम से मैं

सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि जो जिंदा कौमें हैं, वह अपने निशान को, अपनी विरासत को संभालकर रखने की कोशिश करती हैं और अंग्रेज आज भी उनका कोई कौमी निशान, कोई तारीखी निशान हिन्दुस्तान में हो तो ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बहुत सी तारीखी विरासत वाली चीजें इंग्लैंड से वापस मंगाई हैं, जैसे सिक्ख गुह्रों के शस्त्र और कोहिनूर आदि, इसी तरीके से यह झंडा हमारी जो 1857 की आजादी की जंग थी, उसका एक बेशकीमती निशान है, रानी लक्ष्मीबाई का झंडा बेशकीमती निशान है। इसलिये इसकी तलाश में रिंगरस तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिये, यह मेरी आपके मार्फत सरकार से दरखास्त है। धन्यवाद।

Agitation by joint action committee of KVS association of Employees

श्री शिव चरण सिङ्ग (राजस्थान) : डिप्टी चेयरमैन महोदया, मैं आपके माध्यम से एक गंभीर मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी केन्द्रीय विद्यालय एसोसिएशन और सरकार के बीच काफी अरसे से झगड़े चल रहे हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के जो अध्यापक हैं और दूसरे जो वर्ग के कर्मचारी हैं, उनकी कुछ मांगें हैं, जिनको सरकार मान नहीं रही है। अभी उन्होंने हंगर स्ट्राइक का नोटिस दिया है उनकी जो एसोसिएशन है, उसकी तरफ से और वह हंगर स्ट्राइक के माध्यम से अपनी कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्री को इस मामले में बीच में पड़कर केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों और दूसरे कर्मचारियों की जो उचित मांगें हैं, उनको तत्काल मान लेना चाहिये जिससे यह स्टेज न आये क्योंकि शुरू में तो ये लोग एसोसिएशन के माध्यम से, छोटी-छोटी मांगों के माध्यम से उनको एनकरेज कर देते हैं और बाद

में परिस्थिति खराब हो जाती है। अगर वे हंगर स्ट्राइक पर गये तो केन्द्रीय विद्यालयों के जितने विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा, ऐक्जामिनेशन हो रहे होंगे तो उनमें व्यवधान पड़ेगा। इसलिये आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके जितने पैडिंग भूमिलात हैं, उन सबको केन्द्रीय सरकार को तत्काल निपट्टा देना चाहिये और उनसे बातचीत के द्वारा उनकी सारी मांगों को निपटाने की कोशिश करनी चाहिये। धन्यवाद।

1. THE BUDGET (RAILWAYS)
1994-95,

2. RESOLUTION APPROVING
RECOMMENDATIONS IN
PARAS 27, 28, 29, 30, 31 AND
34 OF FIFTH REPORT OF
RAILWAY CONVENTION
COMMITTEE, 1991,

3. THE APPROPRIATION
(RAILWAYS) NO. 2 BILL,
1994

AND

4. THE APPROPRIATION
(RAILWAYS) NO. 3 BILL,
1994—Cont'd.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Now we will take up the discussion on
the Railways.

Before we start the discussion, I
would request the Member that they
should abide by the time allotted to
their parties so that, if we can finish
the discussion today, we can have the
reply tomorrow. If it is possible, we
will finish it today.

THE MINISTER OF STATE IN
THE MINISTRY OF PARLIA-
MENTARY AFFAIRS (SHRI-
RAMESHWAR THAKUR): Madam
the hon. Railway Minister has a
question.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Do you want to reply today?

THE MINISTER OF RAILWAYS
(SHRI C. K. JAFFER SHARIEF)
Yes, Madam, today. I will be much
obliged if I can be permitted to reply
today, if the business can be finished
today.

SHRI SHANKAR DAYAL
SINGH (Bihar): Madam, you fix
the time?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I
am fixing the time. We have got five
hours for the discussion including the
Minister's reply. So, it is five hours
from now. If you don't want to go
for lunch, we can sit through the
lunch hour. We should not delay the
train.... (Interruptions)

SHRI H. HANUMANTHAPPA
(Karnataka): Madam, Deputy Chair-
man, the way in which the discussion
is going on, it may not take much
more time. The Railway Minister is
travelling very safely across the discus-
sion. I am observing since yesterday
that the Railway Minister is travelling
across the discussion very safely.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
We hope there will be no accident.

SHRI H. HANUMANTHAPPA:
I heard Mr. Shankar Dayal Singh's
speech also yesterday.

THE DEPUTY CHAIRMAN :
We want no accidents, no chain-
pullings and no obstructions. So,
you can go ahead.

SHRI H. HANUMANTHAPPA:
Madam, before I start, I will say that
somebody asked me whether I was
going to praise Mr. Jaffer Sharief. I
said, "Everybody else has praised him.
Why should I also praise him?" He
said, "Everybody has put something.
You also give him a rose." This is the
nature of the discussion. Even Sunder
Singh Bhandariji who has initiated
the discussion, also came out with
suggestions. Actually, by and large,
the Railway Minister has mesmerised
everybody, including the CPI (M)
Members.